संख्या-07/2017/5997/26-3-2016-10(27)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 04 जनवरी, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में जनपद-बस्ती में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास(पुराना), सिविल लाइन, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (नया), सिविल लाइन, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गौर एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बभनान के भवनों में मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों हेतु बचतों के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1117-18/स-क-विकास/छात्रावास/2016-17 दिनांक-24.10.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-"2225-01-789-11-सड़को पर जूता गांठने वाले कारीगरों को दुकान निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में बजट प्राविधान रूपया-55800.00 हजार (रूपये पांच करोड़ अठ्ठावन लाख मात्र) के सापेक्ष सम्भावित बचतो से लेखाशीर्षक-2225-01-789-09-29-अनुरक्षण के अन्तर्गत जनपद-बस्ती में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (पुराना), सिविल लाइन, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (नया), सिविल लाइन, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गौर एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बभनान के भवनों में मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों हेतु आंकलित धनराशि रूपया-20307.00 हजार (रूपये दो करोड़ तीन लाख सात हजार मात्र) के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपया-10154.00 हजार (रू0-एक करोड़ एक लाख चौवन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

संख्या-07/2017/5997/(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, उ0प्र0 लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, बस्ती।
7- अधिशाषी अभियंता, यू0पी0 सिडको, जनपद-बस्ती।
8- जिला समाज कल्याण अधिकरी, बस्ती।
9- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## प्रपत्र–बी0एम0–9 (पार्ट–1)
## पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
## (सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम :– 83 व समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) वित्तीय वर्ष 2016–2017 (धनराशि हजार रू0 में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक आयोजनागत | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संकमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2–5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–11–सड़कों पर जूता गांठने वाले कारीगरों को दुकान निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना– 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)– | 55800 | 10154 | 10154 | 10154 | 45646 |
| योग | 55800 | 10154 | 10154 | 10154 | 45646 |

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक आयोजनागत | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8) | वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि | संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–09–राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण– | 50000 | 60154 | 10154 | 10154 | 60154 |
| योग | 50000 | 60154 | 10154 | 10154 | 60154 |

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तिविक आवश्यकता के कारण है।
2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से हैः–योजनान्तर्गत कार्यो को कराये जाने हेतु।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या–आर0ई0–339 /दस–2017, दि0 4-1-17

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

( कामता प्रसाद )
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

( मनोज सिंह )
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–07/2017/5997(1)/26–3–16, दिनांक 04 जनवरी, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिलाधिकारी बस्ती।
3– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
6– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, बस्ती।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
9– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।